संख्या-16/2019/655/38-6-19-6(एसआरएलएम)/2019

प्रेषक,

विजय बहादुर वर्मा,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक-23 अक्टूबर, 2019

विषयः- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हेतु वित्तीय वर्ष-2019-20 में अनुदान सं0-81 (अनुसूचित जनजाति मद) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश प्रथम किश्त के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के पत्रांक-1482/एनआरएलएम /बजट/2019-20, दि0-26.07.2019 तथा पत्रांक-2257/आजीविका/2019-20, दि0-18.08.2019 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक-जे-12036/01 /2019-आरएल(एनआरएलएम-13सी), दि0-15.04.2019 द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में शासनादेश सं0-11/2019/525/38-6'19-06(एसआरएलएम(/2019, दि0-14.08.2019 द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत अनुदान सं0-81(अनुसूचित जनजाति मद) में अवमुक्त केन्द्रांश(60 प्रतिशत) प्रथम किश्त रू0-7350.85 लाख(रूपये तिहत्तर करोड पचास लाख पचासी हजार मात्र) के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश(40 प्रतिशत) की धनराशि रू0-4900.57 लाख बनती है, जिसे अवमुक्त किया जाना है। उल्लेखनीय है कि योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान सं0-81 के अन्तर्गत रू0-18148.06 लाख बजट की व्यवस्था की गई है। योजनान्र्तगत 60 प्रतिशत केंद्रांश एवं उसके सापेक्ष 40 प्रतिशत राज्यांश (के.60+रा.40) की व्यवस्था है।

2- वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य सरकार द्वारा की गई बजट व्यवस्था में उपलब्ध धनराशि में से भारत सरकार के पत्र दि0-15.04.2019 के माध्यम से अवमुक्त केन्द्रांश प्रथम किश्त के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश की धनराशि रू0-4900.57 लाख(रूपये उन्चास करोड़ सत्तावन हजार मात्र) को अवमुक्त कर आयुक्त, ग्राम्य विकास के निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) आंकडों की शुद्धता का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार किया जाएगा।

(2) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृती किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थाई

http://shasanadesh.up.gov.in

आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

(3) धनराशि का आहरण एवं व्यय योजना विषयक गाइडलाइन/दिशानिर्देश तथा इस संबंध में समय समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सुनिश्चित किया जाएगा तथा स्वीकृत की गयी धनराशि के विरूद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने व उसके परीक्षण/सत्यापन का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत व्यय व स्वीकृत धनराशियों के निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है, जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज को गाइड लाइन में निर्धारित व्यवस्थानुसार समायोजन/व्यय करने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि से यथावश्यकता सामग्री, उपकरण आदि के क्रय हेतु सामग्री क्रय संबंधी संगत शासनादेशों में निर्धारित क्रय प्रक्रिया/व्यवस्थाओं का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

(7) आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

(8) योजनाओं हेतु प्राविधानित धनराशि को स्वीकृत कर पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में जमा नहीं किया जाएगा।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष में किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

(10) भारत सरकार के पत्र दि0-15.04.2019 में अंकित दिशा निर्देशों/शर्तों का पूर्णत: अनुपालन किया जाएगा।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप सं0-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दि0-22 मार्च, 2019 एवं संबंधित अन्य संगत शासनादेशों की शर्तों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-81 के लेखाशीर्षक "2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-01-समेकित ग्राम विकास

http://shasanadesh.up.gov.in

कार्यक्रम-796-जनजातिय उपक्षेत्र योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0101-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन-(के.60/रा.40-के.+रा.)-27-सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2 के अशासकीय सं0-यू0ओ0-ई-2-808./दस-18, दि0-10.10.2019 में प्राप्त उनकी सहमति तथा समाज कल्याण, बजट प्रकोष्ठ के शासनादेश दि0-27.03.2015 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहें है।

भवदीय,
विजय बहादुर वर्मा
संयुक्त सचिव।

संख्या-16/2019/655(1)/38-6-2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार(सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय (स्किल डिवीजन), नई दिल्ली।
4- निदेशक, कोषागार/मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- मुख्य लेखा परीक्षाधिकारी, सहकारी समितियॉ एवं पंचायतें, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
6- मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम, गोमती नगर, लखनऊ।
7- अपर आयुक्त, लेखा, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-2/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9- ग्राम्य विकास अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(लाल धीरेन्द्र राव)
उप सचिव।

http://shasnadesh.up.gov.in